

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय / 22

जयपुर, दिनांक ०४-१०-२०२३

:आज्ञा:

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग
1.	अशोक कुमार मीना	वरिष्ठ विधि अधिकारी जिला परिषद, टोंक	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय केकड़ी (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
2.	मोहम्मद आदिल खान मोयल	कनिष्ठ विधि अधिकारी प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान जोधपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय फलौदी (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
3.	रजनी सिंघल	वरिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय सीकर	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय नीम का थाना
4.	अनिता सक्सेना	उप विधि परामर्शी कृषि एवं उद्यानिकी विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार से शुक्रवार)
5.	महेन्द्र पाल सिंह	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय भरतपुर	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय डीग (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार से शुक्रवार) जिला कलक्टर कार्यालय भरतपुर में ही रहकर ^{जिला कलक्टर कार्यालय डीग में उप विधि परामर्शी के पद का कार्य सम्पादित करेंगे।}
6.	अनामिका भूषण	उप विधि परामर्शी हरीश चन्द्र माथुर, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर (ओटीएस)	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय टोंक (सप्ताह में 3 दिवस बुधवार से शुक्रवार)
7.	विकास अग्रवाल	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय कोटपूली बहरोड (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार से शुक्रवार)
8.	निमिता शर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)

9.	शिवानी शर्मा	वरिष्ठ विधि अधिकारी वित्त (विधि) प्रकोष्ठ, शासन सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार से शुक्रवार)
10.	दलिप दीक्षित	कनिष्ठ विधि अधिकारी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), झुञ्जुनू	वरिष्ठ विधि अधिकारी संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरू संभाग, चूरू (सप्ताह में 3 दिवस गुरुवार से शुक्रवार)
11.	उर्वशी व्यास	कनिष्ठ विधि अधिकारी कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार से शुक्रवार)

साथ ही इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 03.02.2022 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार सैनी, वरिष्ठ विधि अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, कार्यालय चूरू को दिये गये अतिरिक्त कार्य के आदेश तथा इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.08.2023 द्वारा श्री प्रताप सिंह राठोड़, उप विधि परामर्शी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर संभाग, जोधपुर एवं श्रीमती अनामिका भूषण, सहायक विधि परामर्शी, हरीश चन्द्र माथुर, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर (ओटीएस) को दिये गये अतिरिक्त कार्य के आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष यथावत रहेंगे।

आज्ञा से


(आशुतोष कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशेष सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि वे अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित विभाग / रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव